

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग

-: आदेश :-

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 04.06.2007 के आलोक में 04.07.2016 में लिए गए दक्षता जाँच एवं मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात संविदा के आधार पर तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद पर मनरेगा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध कुल परिलब्धि 16,470/- (सोलह हजार चार सौ सत्तर रु०) मात्र प्रति माह के अलावा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय पर नीचे दिये गए शर्तों के साथ नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	कोटि	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	प्रखण्ड जहाँ पदस्थापित किया जा रहा है।
1	अनारक्षित	संजय कुमार	अखिलेश्वर प्रसाद	न्यु कॉलोनी, डीपूगढ़ा, हजारीबाग।	ईचाक
2	अनारक्षित	सुनील कुमार मेहता	काशी मेहता	ग्राम+पो०- लुपुंग, कटकमसांडी, हजारीबाग	ईचाक
3	अनु०ज० जाति	राहुल कुमार	रामशुक्ल लोहरा	ग्राम खुटी टोला, पो० खुटी, थाना बुण्डू, जिला राँची।	ईचाक
4	अनु० जाति	विकास कुमार दास	कार्तिक रविदास	ग्राम+पो० होसिर (देवीपुर) थाना- गोमिया, जिला बोकारो।	बरकड़ा
5	पिछड़ा वर्ग	प्रदीप कुमार जायसवाल	राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल	ग्राम+पो० खैराचातर, थाना कसमार, जिला बोकारो।	बरकड़ा
6	अति पिछड़ा वर्ग	अनील कुमार	करिवा महतो	बसंत बिहार कॉलोनी, पंडरा, पो० कांके, रातू रोड, राँची।	बरही
7	अति पिछड़ा वर्ग	मो० अफजल अंसारी	मो० मोजाहीम अंसारी	ग्राम लोवादाग, पो० बाँका, थाना मेराल, जिला गढ़वा।	बरही
8	अनारक्षित	मोनिका	राजीव कुमार	क्वाटर न०- डी०एस०-3 /13डी, रेलवे कॉलोनी, हटिया, राँची।	बरही
9	अनारक्षित	जय प्रकाश चौधरी	अशोक कुमार चौधरी	ग्राम परशुराम नगर, रेडमा(एन) पो०- जी.एल.ए. कॉलेज कैम्पस, पलामू।	बड़कागाँव
10	अनारक्षित	राहुल रंजन गुप्ता	राजेश गुप्ता	ग्राम गंदली पोखर, पो० चिलदाग, थाना अंगारा, जिला राँची।	बड़कागाँव
11	अनारक्षित	अर्निका कुमारी	सुर्यनाथ सिंह	सुरेश नगर, हजारीबाग	बड़कागाँव
12	अनु० जाति	निलेश कुमार	हरीमंगल राम	ग्राम घुट्टा, पो० बड़काकाना, थाना पतरातु, जिला रामगढ़	केरेडारी
13	अनु० जाति	संजय कुमार दास	जय प्रकाश दास	ग्राम लुट्टा, पो० कदमा, जिला हजारीबाग।	केरेडारी
14	अनारक्षित	सिकन्दर कुमार	सुरेश दांगी	ग्राम+पो०- दैहर, थाना- चौपारण, जिला हजारीबाग।	कटकमसांडी

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

15	अनारक्षित	गजेन्द्र नाथ सिंह	अमर नाथ सिंह	ग्राम+पो0 करौंडी, थाना+जिला- गुमला।	कटकमसाण्डी
16	अनु0 जाति	मुन्ना कुमार	धरम भुईयॉ	ग्राम कुट्टी, पो0+थाना-सिमरिया, जिला चतरा।	कटकमदाग
17	अति पिछड़ा वर्ग	सनाउल्लाह अंसारी	लुकन अंसारी	ग्राम केन्दुआ, पो0 चैनपुर, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा।	विष्णुगढ़
18	पिछड़ा वर्ग	नीरज हजारी	बिरजू हजारी	ग्राम तिलातार (हजारी बस्ती) पो0 कतरास बाजार, जिला धनबाद।	विष्णुगढ़
19	अनारक्षित	करण कुमार	अवधेश प्रसाद सिन्हा	कुँवर सिंह कॉलोनी, पो0-चास, थाना+जिला बोकारो।	विष्णुगढ़
20	अनारक्षित	शशांक भूषण	शशी भूषण सिंह	बानाहप्पा, हजारीबाग।	पदमा
21	अति पिछड़ा वर्ग	राहुल कुमार	राजेश लाल	ग्राम ढाब रोड, पो0+थाना डोमचांच, जिला कोडरमा।	सदर
22	अनु0 जाति	सीताराम दीवान	बासुदेव राम रविदास	ग्राम भुचुगंडीह, पो+थाना रजरप्पा प्रोजेक्ट, जिला रामगढ़	सदर
23	अनारक्षित	कुमार मनीश	राम कृष्ण साहू	ग्राम+पो0 लोटा, थाना सिल्ली, जिला राँची।	डाड़ी
24	अनारक्षित	सुशील कुमार केसरी	लाल बहादुर प्रसाद केसरी	ग्राम+पो0- शाहपुर, थाना-चैनपुर, जिला- पलामू।	डाड़ी
25	अनारक्षित	अशोक कुमार	नरेश प्रसाद	कॉपरेटिव कॉलोनी, बाराटाइ, धनबाद।	दारु
26	अनारक्षित	अमित कुमार दुबे	भुनेश्वर दुबे	दीपुवन मुहल्ला, जिला गढ़वा	चौपारण
27	पिछड़ा वर्ग	चंदन कुमार मंडल	पनेश्वर मंडल	पोलेटेकनिक दूसरा गेट, सोनवादंगल, जिला दुमका।	चौपारण
28	अति पिछड़ा वर्ग	अजय कुमार महतो	रघु महतो	ग्राम+पो0 सांडी, रजरप्पा प्रोजेक्ट, जिला रामगढ़।	चौपारण
29	अनारक्षित	अविनाश कुमार	कमलेश कुमार सिंह	फ्लैट न0-32, कस्तुरी अपार्टमेंट, रोड न0-7, कुसुम निहार, मोराबादी, राँची।	चुरचू
30	अनारक्षित	जियाउल हक अंसारी	मो0 युसूफ अंसारी	ग्राम- दुधवाल, पो0- बंडू, थाना- रंका, जिला- गढ़वा।	चलकुशा
31	अनारक्षित	अफरोज अंसारी	अनवर अंसारी	ग्राम नावाडीह, पो0+थाना-डोमचाच, जिला कोडरमा।	चलकुशा

शर्त

- यदि आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/ तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की जाँच सम्बन्धित संस्थान से कराई जायगी, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो आपका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा एवं आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायगी तथा भुगतान की गई मानदेय राशि सूद सहित वसूली की जायेगी।
- तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
- यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है। जिसे नियमित / स्थायी करने का सरकार को कोई दायित्व नहीं होगा।







4. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए की जा रही है। संतोषप्रद कार्य पा जाने एवं आवश्यकता होने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति व नवीकरण किया जाएगा। नवीकरण नहीं होने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
5. यदि आप नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहें, तो नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त हजारीबाग को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलिपि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि उपायुक्त, हजारीबाग को ऐसा प्रतीत हो कि आप सेवा की आवश्यकता नहीं है तो एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलिपि देकर आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आप सेवा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
6. निर्धारित परिलिपि / मानदेय राशि समेकित परिलिपि / मानदेय है तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
7. उक्त पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना त प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर अनिवार्य होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही आपकी नियुक्ति मा होगी।
8. पदस्थापन स्थान को आपके द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
9. योगदान करने के साथ ही यह समझा जाएगा कि आप मनरेगा योजना अन्तर्गत संवि आधारित पदों की नियुक्ति नियमावली में दिये गए शर्तों एवं भविष्य में सरकार द्वारा दिये गए निदेशों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहमत हैं।
10. योगदान के पश्चात एक माह के अंदर अपने पदस्थापित प्रखण्ड में निवास करने संबंधित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि पदस्थापित तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के द्वारा दिए गए एकरारनामा, समुचित प्रमाण-पत्र योगदान पत्र के आधार पर योगदान स्वीकृति की संपुष्टि की सूचना उप विकास आयुक्त अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे।

उप विकास आयुक्त
-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
हजारीबाग।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

क्रमांक 2972/जि0ग्रा0

दिनांक 16/12/2016

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) को अनुपालन प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अपना योगदान पदस्थापित प्रखण्ड के प्र विकास पदाधिकारी के समक्ष पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर योग करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त
-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
हजारीबाग।

उपायुक्त,
हजारीबाग।